

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

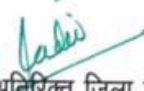
क्रमांक 190 / अति.जि.दं. / 2022

// आदेश //

दुर्ग, दिनांक 05 जनवरी, 2022

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के दिशा-निर्देश क्रमांक 567/स.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.01.2022 के परिपालन में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 564/स.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से विवाह/ अंत्येष्टि/ दशगात्र आदि कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति एवं 200 व्यक्तियों से अधिक उपस्थिति होने पर जिला दंडाधिकारी के लिखित पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दुर्ग, दिनांक 05 जनवरी, 2022

पृ. क्रमांक 190 / अति.जि.दं. / 2022
प्रतिलिपि:-



1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई-चरोदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। बाजार एवं भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों में मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग की निगरानी हेतु दलों को सक्रिय करें तथा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अर्थदण्ड एवं अन्य समुचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व इंस्पेक्टर कमान्डर, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग/धमधा/पाटन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी, जिला दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. खाद्य नियंत्रक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. उप पंजीयक, समस्त, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

c:\users\user\desktop\deepak runnig letter.docx